"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2011—वैशाख 23, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2011

आदेश

क्रमांक 527/948/2011/1-7.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 11-05-2011 द्वारा श्री राम प्रशन्न शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

2. विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 11-05-2011 के परिपालन में श्री प्रभात कुमार शास्त्री (उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी) की विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए, उनकी सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को वापस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. टोप्पो**, अतिरिक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.